**बिहार सरकार**

**कला, संस्कृति एवं युवा विभाग**

**अधिसूचना**

पटना, दिनांक 30.11.2012

# बिहार स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नियमावली, 2012

सं0सं0–2/य.1–03/2008 ...**4092**...../ भारत संविधान के अनुच्छेद 39 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नीति एतद् द्वारा अंगीकार करती है और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियमावली, 2012 बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, आरंभ और लागू होना ।–**

(1) यह योजना ''स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता'' नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

(4) यह नियमावली सभी स्वैच्छिक, गैर लाभकारी संस्थाओं यथा सोसाइटी, ट्रस्ट, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों और वैसी संस्थाओं पर लागू होगी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, और तत्पश्चात् कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हों तथा जिसका उद्देश्य कला, एवं संस्कृति का विकास करना हो एवं उनके पास योजना के कार्यान्वयन के लिए पात्र कलाकार और प्रोफेशनल्स हों। यह नियमावली राजनैतिक और धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।

2. **परिभाषाएं ।–** इस नियमावली में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) **''स्वैच्छिक संस्था''** से अभिप्रेत है कि वैसी संस्था जो सामाजिक कार्यकलापों हेतु स्वेच्छा से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत अधीन गठित हो;

(ख) **''गैर लाभकारी संस्था''** से अभिप्रेत है कि वैसी संस्था, जिसका कार्यकलाप लाभ अर्जित करने के लिए न हो एवं जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(ग) **''सोसाइटी''** से अभिप्रेत है कि वैसी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(घ) **''महाविद्यालय/विश्वविद्यालय''** से अभिप्रेत है, वैसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय जहां कला एवं संस्कृति से संबंधित विषयों का शिक्षण/प्रशिक्षण होता हो।

(ड़) **''आवेदक संस्था''** से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो स्वैच्छिक, गैर लाभकारी एवं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधिन रजिस्ट्रीकृत हो;

(च) **''पात्र कलाकार''** से अभिप्रेत है, संस्था की गतिविधियों हेतु प्रशिक्षित कलाकार;

(छ) **''प्रोफेशनल''** से अभिप्रेत है, वृतिक रूप से प्रशिक्षित/पूर्णकालिक कलाकार, कला इतिहासकार, कला प्रबंधक;

(ज) **''सांस्कृतिक कार्यक्रम''** से अभिप्रेत है, चाक्षुष व प्रदर्श कलाओं से संबंधित कार्यक्रम;

(झ) **''कार्यशाला''** से अभिप्रेत है, सांस्कृतिक प्रशिक्षण (प्रदर्श एवं चाक्षुष कला) और सांस्कृतिक विचारों विनमय का कार्यक्रम;

(ञ) **''उत्सव''** से अभिप्रेत है, चाक्षुष एवं प्रदर्श कलाओं का प्रदर्शन, विचारों विनमय आदि को लेकर होनेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रम।

(ट) '**प्रदर्शनी**' से अभिप्रेत है, चाक्षुष कलाकृतियों एवं संबंधित विषयों और प्रदर्श कलाओं के वाह्य क्षेत्र कास्टयूम आदि कृतियों का प्रदर्शन सेट ;

(ठ) '**चाक्षुष कला**' से अभिप्रेत है, चित्रकला, ग्राफिक्स (प्रिंटमेकिंग), मूर्तिकला, फोटोग्राफी, इंस्टालेशन, वीडियो आर्ट, परफार्मेंस आर्ट, डिजीटल आर्ट, लाईव स्कल्पचर आदि विधाएं।

(ड) '**आर्टिस्ट रेजिडेंसी**' से अभिप्रेत है, चाक्षुष कलाकारों के आवासीय कार्यक्रम, जिसमें वे लम्बी अवधि (एक सप्ताह से ज्यादा) तक रहकर कलाकृतियों का सृजन कार्य करते व उसपर व्याख्यान देते हैं।

(ढ़) '**कार्यक्रम शोध सर्वेक्षण**' से अभिप्रेत है, संस्कृति विषयक शोध, अध्ययन और सर्वेक्षण।

(ण) '**अभिलेखीकरण**' से अभिप्रेत है, चाक्षुष कला और प्रदर्श कलाओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अभिलेखीकरण।

(त) '**अभिनव परियोजना**' से अभिप्रेत है, संस्कृति विषयक नवीन अवधारणा एवं प्रस्ताव।

(थ) '**सेमिनार**' से अभिप्रेत है, संस्कृति विषयक परिसंवाद।

(द) '**आवश्यक सहयोगी उपकरण**' से अभिप्रेत है, प्रदर्श कलाओं में सेट, वाद्ययंत्र, कास्ट्यूम आदि तथा चाक्षुष कलाओं में रंग, ब्रश, स्ट्रेचर, इजल इंस्टालेशन के लिए आवश्यक सामग्री, वीडियो और डिजीटल आर्ट के लिए वीडियो कैमरा, स्टील कमरा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, कास्ट्यूम, मेकअप के सामान आदि।

3. **गतिविधियाँ जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी :–**

(क) सांस्कृतिक कार्यक्रम, यथा–कार्यशाला, उत्सव–महोत्सव, प्रदर्शनी, नये नाटक का प्रोडक्शन, चाक्षुष कला में अभिनव परियोजना, सेमिनार, आर्टिस्ट रेजिडेन्सी, संस्कृति के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम शोध सर्वेक्षण, प्रकाशन, अभिलेखीकरण तथा इनके लिए आवश्यक सहयोगी उपकरण आदि की खरीद के लिए दी जाएगी।

(ख) जिन स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि और भवन है, वैसी संस्थाओं को मूलभूत संरचना (यथा जीर्णोद्धार, निर्माण) के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए भूखंड या भवन से संबंधित सत्यापित दस्तावेज जो संस्था के नाम होगा, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य/मरम्मति/ जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।

4. **वित्तीय सहायता की सीमा ।–** विभाग द्वारा 5 (पाँच) लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाएगी। उससे अधिक राशि की वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजा जाएगा और मंत्रिपरिषद् की मंजूरी के पश्चात मंजूर की गयी राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

5. **वित्तीय सहायता का लेखा परीक्षा ।–**

(क) संस्थाएं विभाग द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि के उपयोग के बाद लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट से करायेगी तथा विभाग को उसका प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सौंपेगी।

(ख) विभाग, यदि चाहे तो, उक्त राशि के उपयोग की गयी राशि का सत्यापन कर सकगी। इसके लिए संबंधित संस्थाओं को सभी दस्तावेज यथावश्यक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(ग) वित्तीय सहायता के उपयोग के लिए, समय–समय पर, विभाग द्वारा दिये गये निदेशों/मार्गदर्शनों का अनुपालन करना, संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा।

6. **आवेदन की प्रक्रिया ।–** प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के लिए, वर्ष में, दो बार विज्ञापन, समाचार पत्रों और इसके वेबसाइट पर, प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन वर्ष में किसी समय किये जा सकेंगे। आवेदन संबंधित राज्य अकादमी/जिला पदाधिकारी/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सांस्कृतिक संस्थाएं/उपविकास आयुक्त/ अनुमंडल पदाधिकारी/जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी/जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी द्वारा अवश्य अनुशंसित होना चाहिए।

7. **आवेदन के साथ संलग्न किये जानेवाले कागजात** ।– आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

(क) संस्था का संविधान/ उद्देश्य और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति;

(ख) संस्था की उपविधि, संस्था के सदस्यों, पदाधिकारियों की सूची सहित;

(ग) संस्था का अद्यतन वार्षिक प्रतिवेदन (फोटोग्राफ और समाचार पत्र कतरनों के साथ);

(घ) संस्था (या सोसाइटी) की सामान्य परिषद/कार्यकारिणी निकाय द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने संबंधी पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति;

(ड.) परियोजना की विस्तृत विवरणी, उसकी पूरी होने की अवधि, उसका कार्यान्वयन करानेवाले प्रोफेशनल्स की सूची, उनका बायोडाटा आदि तथा उसका बजटीय ब्रेकअप के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव

(च) संस्था का विगत तीन वर्षों की अवधि के साथ आय एवं व्यय का चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन;

(छ) संस्था को विगत वर्षों में राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता का ब्योरा यदी कोई हो, उपयोगिता प्रमाण पत्र;

(ज) विहित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित पूर्व पावती रसीद (प्री रीसिट);

(झ) संस्था के बैंक एकाउंट संबंधी जानकारी विहित प्रपत्र में;

(ञ) सरकार अथवा किसी प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का घोषणा पत्र।

8. **चयन प्रक्रिया ।–** विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक अनुदान समिति, प्राप्त पात्र आवेदनों पर विचार करके, सहायता की अनुशंसा करेगी। समिति इसके लिए विभिन्न कला क्षेत्रों को आनुपातिक ढंग से सहायता प्रदान करने की अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर राज्य सरकार संस्थाओं को वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध करायेगी। वित्तीय सहायता अनुदान समिति का गठन निम्नलिखित को मिलाकर होगा :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव | – | पदेन अध्यक्ष |
| (ii) | विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव | – | पदेन सदस्य |
| (iii) | अध्यक्ष, बिहार संगीत नाटक अकादमी | – | पदेन सदस्य |
| (iv) | अध्यक्ष, बिहार ललित कला अकादमी | – | पदेन सदस्य |
| (v) | वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य (आंतरिक वित्तीय सलाहकार) | – | पदेन सदस्य |
| (vi) | निदेशक, सांस्कृतिक कार्य | – | सदस्य सचिव |
| (vii) | सहायक निदेशक (संस्कृति) | – | सदस्य |
| (viii) | विभाग द्वारा नामित एक चाक्षुष कलाकार | – | सदस्य |
| (ix) | विभाग द्वारा नामित एक प्रदर्श कलाकार | – | सदस्य |

(नोटः– नामांकित सदस्यों का मनोनयन एक वर्ष की अवधि के लिए निदेशालय के द्वारा किया जायेगा)

9. **सामान्य ।–** विभागीय पदाधिकारी या अनुदान समिति के सदस्य, समय–समय पर, वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं की समीक्षा/जांच कर सकेंगे और इनके सत्यापन प्रतिवेदनों को अनुदान समिति की बैठकों में रखा जाएगा तथा उस पर सम्यक रूप से विचारण के बाद वित्तीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
ह0/–
(डॉ0 महेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक ...../ पटना, दिनांक ...../2012

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, सचिवालय, पटना को सी.डी. के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक ...../ पटना, दिनांक ...../2012

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना/सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक .....**4092**...../ पटना, दिनांक **30.11.2012**

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डॉ0 महेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।